न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 82/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कविता शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री रमेश नानवानी पुत्र श्री वासुदेव, निवासी 9/30, सिन्धी कालोनी, सांगानेर, जयपुर।
2. श्री सतीश निहालवानी पुत्र श्री चांदूराम निवासी वाई–295, महावीर नगर, सांगानेर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री सुभाष चन्द खण्डेलवाल अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक कविता शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18.11.2013 को शिकायत की जांच हेतु श्री राजेश कुमार सैनी के रेल्वे लाइन, सांगानेर के पास स्थित खेत में बने अस्थायी कोटडी में जांच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थीगण से 43 घरेलू गैस सिलेण्डर(37एचपीसी+ 3बीपीसी+3आईओसी), 8 वाणिज्यिक सिलेण्डर बीपीसी, 130 नोन आईएसआई छोटे सिलेण्डर(92भरे व 38खाली) मय एलपीजी 247.900 किग्रा., एक मारुति वैन नम्बर आरजे–14–यूए–7381, 3 पाने, 8 बांट(2 किग्रा. के चार, 1 किग्रा का एक, 500 ग्राम का एक, 200 ग्राम का एक व 100 ग्राम का एक), दो तराजू, 27 बांसुरी(5 लोहे व 22 पीतल की) जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 02.04.2014 को अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द खण्डेलवाल ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/ अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया। दिनांक 10.12.2013 को अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 2,50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 13.01.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 18.11.2013 को जब्त सामान से अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग करना पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में बांसुरी की सहायता से गैस हस्तानान्तरण करते हुए पाये गये। अप्रार्थीगण से पूछताछ में सिलेण्डर 700–800 रु. में क्रय करके छोटे सिलेण्डर में रिफिलिंग करके 350 रु प्रति सिलेण्डर बेचना एवं जब्त गाडी को सिलेण्डरों के क्रय–विक्रय के लिये काम में लिया जाना बताया गया। प्रकरण में जब्त गाडी के अलावा अन्य किसी भी जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नही किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण, खरीद फरोख्त एवं रिफिलिंग करना द्रविकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त सामान एवं मारुति वैन नम्बर आरजे–14–यूए–7381 (फर्दानुसार) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।